PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Monday, 28th February 2011, Page: 7
Width: 15.16 cms Height: 17.27 cms, Ref: pmin.2011-02-28.40.39

दवा उद्योग को जीएसटी से बाहर रखने की उम्मीद

बिजनेस भास्कर • नई दिल्ली

दवा उद्योग को उम्मीद है कि सरकार गुड्स स्टैंडर्ड टैक्स (जीएसटी) लागू करते समय जीवन रक्षक दवाओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इन दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखेगी। इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के महासचिव दारा बी. पटेल ने बजट 2011-12 से दवा उद्योग की उम्मीदों और मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि छोटी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जीएसटी के तहत छूट की सीमा पांच करोड़ रुपये रखी जानी चाहिए।

दवा उद्योग की यह भी ख्वाहिश है कि देश भर में दवाओं का वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सौदे पर आने वाली लागत घटाने के दिशा में इंटर स्टेट ट्रांसफर्स पर 2 फीसदी केंद्रीय बिक्री कर(सीएसटी) हटा देनी चाहिए। इसके अलावा टैक्स फ्री जोन्स में लगाई गई यूनिट को मिल रहे फायदों को जीएसटी के तहत जारी रखा जाना चाहिए।

पटेल ने मांग की है सरकार को सेवा कर के मकसद से सेवा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे बिक्री कर/ वैट और संबंधित करों के दायरे में आने वाले लेन-देन को अलग किया सके। इसके अलावा इससे दोहरे कर की स्थिति से बचाव के अलावा सेवा कर के प्रावधानों से छूट देने में आसानी होगी। दवा उद्योग की मांग है मौजूदा समय में लागू उत्पाद शुल्क के लिए

प्रमुख मांग

छोटी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए छूट की सीमा पांच करोड़ रुपये रखी जानी चाहिए

लागत घटाने की दिशा में इंटर स्टेट ट्रांसफर्स पर 2 फीसदी सीएसटी हटा देनी चाहिए

टैक्स फ्री जोन्स में लगाई यूनिट के फायदों को जीएसटी के तहत जारी रखा जाना चाहिए

एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट (एपीआई) की दरों को अधिक तार्किक और 8 फीसदी से घटा कर 4 फीसदी तक किए जाने की जरूरत है। भारतीय दवा कंपनियां सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाएं मुहैया कराने के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। मौजूदा समय में दवा कंपनियों का बिजनेस मॉडल बिजनेस ड्रिवेन रिसर्च से रिसर्च ड्रिवेन बिजनेस की ओर जा रहा है। ऐसे में शोध एवं विकास से लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में होने वाले फायदों को ध्यान में रखते हुए शोध एवं विकास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी वस्तुओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे से बाहर रखना चाहिए। इसके अलावा शोध एवं विकास के लिए कैपिटल गुड्स, रॉ मैटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स और रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को कस्टम ड्यूटी ओर संबंधित करों से मुक्त रखा जाना चाहिए। दवा का निर्यात करने वाली छोटी दवा कंपनियां को यूएस एफडीए ऑडिट और एनएसएफ पर खर्चा करना पड़ता है। ऐसे में इन एमएमई को सरकार से यूएस एफडीए और एनएसएफ खर्च की वापसी होनी चाहिए। इससे एसएई वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी।

दवा निर्माता कंपनियो को बनाई गई दवा के प्रत्येक बैच में से कुछ बाक्स दवाओं की एक्सपायरी तक ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के नियमों के तहत कंट्रोल सैंपल्स के रूप में रखना पड़ता है।